इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018—आश्विन 13, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-1-04-2017-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, विद्यमान शीर्षक "ग्यारह.—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"ग्यारह, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.".

2. अनुसूची में,—

(1) विद्यमान शीर्षक "ग्यारह, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए. अर्थात्:—

"ग्यारह.—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग";

(2) यथा स्थापित शीर्षक "ग्यारह.—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग" के अधीन,—

(क) भाग (आ) में, अनुक्रमांक 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ख) भाग (इ) में, अनुक्रमांक 3 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"3. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल.";

(ग) भाग (ऊ) में अनुक्रमांक 11 एवं 12 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(3) शीर्षक "बयालीस-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग" के अधीन,—

(क) भाग (आ) में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"4. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (क्रमांक 31 सन् 1959).";

(ख) भाग (ऊ) में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"8. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (राजपत्रित) सेवा.

9. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (अराजपत्रित) सेवा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-1-04-2017-एक(1).—भारत के संविधान के अनुछेच्द 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-1-04-2017-एक(1), दिनांक 5 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th October 2018

No. F-1-04-2017-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, for the existing heading "XI, Industry Policy and Investment Promotion", the following heading shall be substituted, namely:—

"XI. Indusrial Policy and Investment Promotion.".

2. In the Schedule,—

(1) for the existing heading "XI. INDUSTRY POLICY AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT", the following heading shall be substituted, namely:—

"XI. INDUSTRIAL POLICY AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT";

(2) under the heading "XI. INDUSTRIAL POLICY AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT"; as so substituted,—

(a) in part (B), serial number 12 and entries relating thereto shall be omitted;

(b) In part (C), for serial number 3, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

"3. Registrar, Firms and Societies, Madhya Pradesh, Bhopal.";

(c) in part (F), serial number 11 and 12 and entries relating thereto shall be omitted;

(3) under the heading "XLII-TECHNICAL EDUCATION, SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT DEPARTMENT,—;

(a) in part (B), after serial number 3 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely:—

"4. Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 (No. 31 of 1959).";

(b) in part (F), after serial number 7 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

"8. madhya Pradesh Manpower Planning Directorate (Gazetted) Services.

9. Madhya Pradesh Manpower Planning Directorate (Non-Gazetted) Services.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. K. KATIYA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.